उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय,
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

सीधी भर्ती के अन्तर्गत चालक पद पर नियुक्ति विषयक।

विज्ञापन संख्या– 01 / 2016

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के देहरादून, नैनीताल एवं टनकपुर क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त चालक पदो पर चालक परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

चालक	वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड पे–रू0 1900 एवं समय–समय पर देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते। कुल उपलब्धियां लगभग रू0 18000.00 प्रतिमाह	**(क)** दिनॉक 1–1–2016 को कक्षा–8 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। **(ख)** दिनॉक 1–1–2016 को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष पुराना लाईसेंस, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना इन्डोर्समेन्ट एवं एक वर्ष पुराना हिल इन्डोर्समेन्ट आवश्यक होगा। **(ग) ऊँचाई** 1– मैदानी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 5 इंच। 2– पहाडी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये 5 फिट 2 इंच।

क्षेत्रवार उपलब्ध पदों की संख्या।

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रवार निर्धारित रिक्तियो का विवरण	संवर्गवार रिक्तियो का विववरण				
		अनुसूचित जाति (19 प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (4 प्रतिशत)	पिछड़ा वर्ग (14 प्रतिशत)	सामान्य वर्ग	कुल रिक्तियॉ
देहरादून	125	24	5	18	78	125
नैनीताल	100	..	4	14	82	100
टनकपुर	75	7	3	10	55	75
योग	300	31	12	42	215	300

नोटः– रिक्तियों की संख्या यथा आवश्यकता घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

2 राष्ट्रीयता – चालक पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो , या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो , या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में, स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा श्रीलंका या केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः

3– आयु – अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ,अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

4– चरित्र– सेवा मे ंभर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा मे ंनियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। वह :–

(एक)– यथास्थिति, ऐसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था जिसमें वह अन्तिम बार पढा हो, के प्राक्टर या प्रधानाचार्य से , या

(दो)– दो राजपत्रित अधिकारियों से, जो उसके सम्बन्धी न हो और उसके निजी जीवन से भलीभांति परिचित हों, सचरित्रता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्व–वृत्त के सम्बन्ध में ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारियों से जैसा आवश्यक समझा जाय, अग्रेतर जांच कर सकता है।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधान या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा ,पदच्युत व्यक्ति सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

5– वैवाहिक प्रास्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु इस विषय पर सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशो के अधीन रहते हुए , निगम इस विनियम के प्रर्वतन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

6– शारीरिक स्वस्थता –(एक) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यो का पालन करने मे बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी या निगम द्वारा नाम निर्दिष्ट या अनुमोदित किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(दो)– ड्राइवर के पद पर नियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रति वर्ष या ऐसे अन्तराल पर जैसा महाप्रबन्धक द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय,चिकित्सकीय परीक्षण, विशेषतः दृष्टि परीक्षण कराये।

(तीन)– उप विनियम (2) में निर्दिष्ट स्वस्थता परीक्षण में अनुतीर्ण व्यक्ति की सेवाये समाप्त की जा सकती है :

7– आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों हेतु 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन जातियों हेतु 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछडे वर्ग हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन व्दारा जारी शासनादेश में निर्धारित नीति के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों हेतु 5 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु 2 प्रतिशत उत्तराखण्ड शासन के नियमानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर ही अनुमन्य होगा।

उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों एवं अन्य वर्गो हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सम्बन्धी नियम तत्समय उत्तराखण्ड प्रदेश में लागू शासनादेश के अनुसार होगें।

8– आरक्षित पदों हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी व्दारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

9– आवेदन पत्र प्रेषण के समय लिफाफे के ऊपर जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका पदनाम लिखा होना चाहिए तथा आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा रू0 40.00 का डाक टिकट लगा लिफाफा (27X12 सेमी0) संलग्न होना अनिवार्य है।

10– अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा निरस्त कर दिए जाएंगे।

11– शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण/प्रशिक्षण सम्बंधी प्रमाण पत्रों व अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित छाया प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।

12– अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति की तिथि से पूर्व का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

13– सामान्य श्रेणी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियो के लिये रू0 200.00 (दो सौ रूपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियो के लिये रू0 100.00 (एक सौ रूपये) का परीक्षा शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट व्दारा जो कि मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर (जैसी भी स्थिति हो) के नाम देय होगा, संलग्न किया जायेगा।

14– (1) चालक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की दो परीक्षाये ली जायेगी। प्रथम परीक्षा मण्डल स्तर पर एवं द्वितीय परीक्षा मुख्यालय द्वारा ली जायेगी।

(2) मण्डलीय स्तर पर चालक पद हेतु प्रथम टेस्ट 100 अंको का होगा जिसमें निम्न 12 बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रथम टेस्ट मुख्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा लिया जायेगा जिसमें कम से कम 5 सदस्य होगें जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ भी होगें।

चालक पद हेतु प्रथम टेस्ट 100 अंको का होगा जिसमें निम्न बिन्दुओ के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का वाहन चलवा कर टैस्ट की कार्यवाही की जायेगी।

	टैस्ट हेतु निर्धारित मद	पूर्णांक
(अ)	वाहन चलाने से पूर्व उसका तेल/पानी हवा आदि की जांच	5
(ब)	स्टार्ट करते समय आवश्यक सावधानी बरतना	5
(स)	गेयर चेन्जिंग	10
(द)	क्लच पैडल पर चलाते समय पैर न रखना	5
(इ)	स्टेयरिंग कन्ट्रोल	20
(फ)	ब्रेक का प्रयोग किसी अन्य सवारी को ओवर टेक करते समय	10
(ज)	सामने से आने वाले दूसरे वाहन की स्पीड व निकलने की जगह का अन्दांज	10
(च)	बैक ब्यूमिरर व हार्न का प्रयोग	5
(ई)	वाहन चलाने हेतु सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित प्रयोग की क्षमता	10
(जे)	ट्रैफिक साईन व सिंगनल का ज्ञान	5
(के)	स्वास्थ्य, ऊॅचाई	5
(ल)	व्यवहार, नम्रता व पर्सनाल्टी	10
	योग	100

नोटः– उपरोक्त टेस्ट में कम संख्या–3 गियर चेंजिंग्स, कम संख्या–5 स्टेरिंग कन्ट्रोल, कम संख्या–6 ब्रेक का प्रयोग, कम संख्या–7 ओवर टेकिंग का अन्दाज एव कम संख्या–9 वाहन चलाने की सभी प्रक्रियाओं के प्रयोग की क्षमता के पांच मुद्दो में पूर्ण अंक पाने वाले को ही द्वितीय टेस्ट हेतु फिट समझा जायेगा। इन बिन्दुओ पर या तो पूर्ण अंक दिये जायेगे, अथवा शून्य दिया जायेगा।

(छ) मण्डलीय स्तर पर लिये गये प्रथम टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की एक सूची चयन समिति द्वारा बनायी जायेगी। चयन के दूसरे भाग में परिवहन निगम द्वारा निर्धारित संस्थान में इन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दूसरा टेस्ट लिया जायेगा।

दूसरे भाग में होने वाला टेस्ट निम्न 5 बिन्दुओ पर लिया जायेगाः–		<u>अधिकतम अंक</u>
(अ)	चढ़ाई वाले स्थान पर बस को स्टर्ाट कर आगे बढ़ाना	10 अंक
(ब)	एक अष्टाकार मार्ग पर एक मिनट में बस चलाना	10 अंक
(स)	बस को ''एस'' आकार के मार्ग पर पीछे की ओर चलाना	10 अंक
(द)	एक निर्धारित स्थल पर गाडी बैक कर खडी करना	10 अंक
(इ)	ट्रैफिक सिंग्नल, इलैक्ट्रिक सिंग्नल, और मैनुवल सिंग्नल की जानकारी	10 अंक
		50 अंक

दूसरा टैस्ट 50 अंक का होगा तथा इसमें न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त दोनो टैस्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियो की एक प्रवीणता सूची जो उनके व्दारा प्रथम व द्वितीय टेस्ट में प्राप्त किये जाने वाले कुल अंको के योग से प्रकट हो, के अनुसार बनाई जायेगी तथा चालक के मण्डलवार उपलब्ध पदों पर नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

द्वितीय टेस्ट निगम मुख्यालय द्वारा गठित कमेटी के द्वारा लिया जायेगा जिसमें कम से कम 5 सदस्य होगें जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ भी होगें।

15– छपा हुआ आवेदन पत्र का प्रारूप रिक्तियों हेतु विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी इसी प्रारूप में निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ सम्बन्धित मण्डलीय कार्यालयों में आवेदन कर सकेगा। उक्त आवेदन पत्र A-4 के कागज पर स्पष्ट रूप से टंकित होना चाहिये।

16– प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अन्तिम चयन के उपरान्त वह वरीयता क्रम में देहरादून, नैनीताल, टनकपुर क्षेत्र में से किस क्षेत्र में तैनाती चाहता है। चयनित अभ्यर्थी के प्रवीणता क्रम एवं इच्छित विकल्प तथा उपलब्ध पदों के आधार पर नियुक्ति के लिए मण्डल ऑवटित होगा।

17– जो अभ्यर्थी अन्तिम रूप से चयनित होगें उन्हें निगम में उनके पद के अनुरूप निगम के अधीन किसी भी डिपो में यथा आवश्यकता तैनात किया जा सकता है।

18– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर **दिनांक 20–6–2016** तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निम्न लिखित पतें पर प्राप्त होना आवश्यक है। कोरियर से अथवा सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जाएंगे तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।

देहरादून क्षेत्र हेतु–	**कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन),उत्तराखण्ड परिवहन निगम, 66, गॉधी रोड़, देहरादून।**
नैनीताल क्षेत्र हेतु–	**कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), मण्डलीय कार्यशाला, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, काठगोदाम।**
टनकपुर क्षेत्र हेतु–	**कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन,निगम, टनकपुर।**

नोटः– (उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्तर से चालक पद हेतु जारी विज्ञापन संख्या 03/2008 को निरस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियो द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2008 के अनुरूप चालक पद हेतु आवेदन किया था तथा वर्तमान में उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार वह चालक पद की समस्त अर्हताए रखते है तो उनको आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।)

–:आवेदन पत्र का प्रारूप:–

अभ्यर्थी का स्वयं का हस्ताक्षरित एवं दिनांक सहित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो

1– आवेदित पद का नामः–..

2– आवेदक का नामः–...

3– जन्मतिथिः–..

4– आयुः–(दिनांक 01.01.2016 को) ....वर्ष ....माह..............दिन)

5– पिता का नामः–..

6– स्थायी पताः–..
....
....

7– पत्र व्यवहार का पताः–...
....
....

8– जाति श्रेणी (सामान्य/पिछडी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति):–..

9– क्षैतिज आरक्षण हेतु प्रमाण पत्र ––––––––––––––––––––––––

10– बैंक ड्राफ्ट का विवरणः–बैंक का नामः–.., ड्राफ्ट संख्याः–................................
देय धनराशिः–..

11– शैक्षिक योग्यताः–

12– सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का विवरणः–

13– दूरभाष संख्या/मोबाइल नं0–

14– तैनाती हेतु वरीयता क्रमः– 1:–
2:–
3:–

.**घोषणा**

मैं..पुत्र/पुत्री..घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे व्दारा दी गई उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है, मेरे व्दारा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा छुपाया गया पाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने एवं मेरे विरूद्व समुचित कार्यवाही किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और निगम में प्राप्त की गयी नियुक्ति निरस्त करने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होऊॅगा।

स्थानः–.................................... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.................

दिनांकः–.. पूरा नामः–.................................